न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 58/2016 (उदयपुर आर्डर)

1. श्री रतना पिता भुजा जी गमेती निवासी गेजवी तहसील झाड़ोल (फ.) जिला उदयपुर (राज0)
2. श्री बाबूलाल पिता रूपा जी गरासिंया निवासी गेजवी तहसील झाड़ोल (फ.) जिला उदयपुर (राज0)
3. श्री रोशनलाल पिता रोड़ा जी गरासिया निवासी गेजवी तहसील झाड़ोल (फ.) जिला उदयपुर (राज0)
4. श्री जोरा पिता चेना जी गरासिया निवासी गेजवी तहसील झाड़ोल (फ.) जिला उदयपुर (राज0)
5. श्री देवीलाल पिता अमरा जी गरासिया निवासी गेजवी तहसील झाड़ोल (फ.) जिला उदयपुर (राज0)
6. श्री हुरता पिता भुरता गमेती निवासी गेजवी तहसील झाड़ोल (फ.) जिला उदयपुर (राज0)
7. श्री केरिंग पिता शिवा जी गमेती निवासी गेजवी तहसील झाड़ोल (फ.) जिला उदयपुर (राज0)
8. श्री अम्बावा पिता रोड़ा जी गरासिया निवासी गेजवी तहसील झाड़ोल (फ.) जिला उदयपुर (राज0)
9. श्री लाला पिता चीना जी गरासिया निवासी गेजवी तहसील झाड़ोल (फ.) जिला उदयपुर (राज0)
10. श्री वक्तावर पिता चीना जी गरासिया निवासी गेजवी तहसील झाड़ोल (फ.) जिला उदयपुर (राज0)
11. श्री मोहन पिता रोड़ा जी गरासिया निवासी गेजवी तहसील झाड़ोल (फ.) जिला उदयपुर (राज0)
12. श्री गला पिता रूपा जी गरासिया निवासी गेजवी तहसील झाड़ोल (फ.) जिला उदयपुर (राज0)
13. श्री नाना पिता भूता जी गरासिया निवासी गेजवी तहसील झाड़ोल (फ.) जिला उदयपुर (राज0)

14. श्री गुला पिता चीना जी गरासिया निवासी गेजवी तहसील झाड़ोल (फ.) जिला उदयपुर (राज0)
15. श्री धमेन्द्र पिता रोड़ा जी गरासिंया निवासी गेजवी तहसील झाड़ोल (फ.) जिला उदयपुर (राज0)
16. श्री उदा पिता रोड़ा जी गरासिया निवासी गेजवी तहसील झाड़ोल (फ.) जिला उदयपुर (राज0)
17. श्री कमीया पिता दीता जी गरासिया निवासी गेजवी तहसील झाड़ोल (फ.) जिला उदयपुर (राज0)
18. श्री भेरा पिता चतरा जी गरासिया निवासी गेजवी तहसील झाड़ोल (फ.) जिला उदयपुर (राज0)
19. श्री मुगा पिता चीरा जी गरासिया निवासी गेजवी तहसील झाड़ोल (फ.) जिला उदयपुर (राज0)

..... अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री कल्ला पिता भज्जा जी गरासिया निवासी गेजवी तहसील झाड़ोल (फ.) जिला उदयपुर (राज0)
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार झाड़ोल जिला उदयपुर (राज0)

..... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व
अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश अतिरिक्त जिला
कलक्टर उदयपुर दिनांक 20–07–2016
प्रकरण संख्या 11/2010

———

उपस्थित :–1– श्री संजय सोनी अभिभाषक अपीलान्ट्स
2– श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक रेस्पो. सांख्या–2

——————/——————

आदेश **दिनांक 09–10–2018**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी रेस्पोन्डेन्ट विपक्षी के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम–14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि भूमि आवंटन)

नियम–1970 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गेजवी में आराजी नंबर 1583 से 1587 कूल किता–5 रकबा .79 हैक्टर भूमि स्थित है, जिस पर प्रार्थीगण व उनके पूर्वज का 250 वर्षो से कब्जा है व खलियान बने हुए है। भूमि सार्वजनिक उपयोग की होकर रास्ता बना हुआ है। गुड़ निकालने के लिए चुल्हे व चरखी लगाई जाती है। उक्त भूमि प्रार्थीगण के स्वामित्व की होने से किसी एक व्यक्ति को आवंटित नहीं की जा सकती है। 3 माह पूर्व विपक्षी संख्या–1 जबरन उक्त भूमि पर आया तथा कब्जा करने लगा व प्रार्थीगण से झगड़ा किया, तब प्रार्थीगण को तहसील से दिनांक 4–7–2010 को पता चला कि उक्त विपक्षी संख्या–1 गलत व गैर कानूनी एवं नाजायज तरीके से उक्त भूमि का आवंटन स्वयं के नाम पर करवा लिया है। आवश्यक कागजाद, आदेश की नकले प्राप्त की तो गांव वालों के समक्ष विपक्षी संख्या–1 ने स्वीकार किया कि उक्त भूमि गलत तरीके से आवंटित कराई है तथा वह स्वयं आवंटन निरस्त करवा लेगा, किन्तु आश्वासन के बावजूद विपक्षी संख्या–1 द्वारा आवंटन निरस्त नहीं कराया गया है, बल्कि जबरन उक्त भूमि पर कब्जा करना चाहता है। विपक्षी संख्या–1 द्वारा उक्त आवंटन फ्रोड एवं मिस–रिप्रजेन्टेशन से कराया है तथा प्रार्थीगण एवं गांव वालों को पता भी नहीं चलने दिया। कोई वज्ञप्ति जारी नहीं की गई, प्रोक्लेनेशन जारी नहीं किया गया, गांव के चौराहे पर सूचना प्रकाशित नहीं की गई एवं विपिक्षी संख्या–1 का कभी भी आज तक कब्जा नहीं रहा, न ही उसके द्वारा कभी कृषि कार्य किया गया। भूमि मगरी की होकर कृषि योग्य नहीं है। आवंटन नियमों के अनुसार प्रथम वर्ष में आधी भूमि तथा अगले वर्ष में पूरी भूमि पर काश्त करना अनिवार्य होता है। विपक्षी संख्या–1 द्वारा आवंटन नियमों की पालना नहीं की है तथा न ही कभी कब्जा रहा है। विपक्षी संख्या–1 ने दिनांक 4–9–1998 को फार्म देकर मिली–भगत से सारी कार्यवाही करा आवंटन उसी दिवस करवा दिया। विपक्षी संख्या–1 के पास पहले से काफी भूमि है एवं भूमिहीन कृषक नहीं है। उक्त भूमि आवंटन योग्य न होते हुए भी विपक्षी संख्या–1 द्वारा आवंटन कराया है। जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त किया जावे।

उक्त प्रकरण के सन्दर्भ में विपक्षी रेस्पोन्डेन्ट की और से खण्डन का जवाब पेश कर निवेदन किया कि भूमि सामुहिक कब्जे की नहीं है। यह भूमि बंजर थी, जिस पर विपक्षी संख्या–1 के पिता वजा ने 30 वर्ष पूर्व

कब्जा कर मकान बनाया व भूमि को आबादान कर काश्त की। उसका निरन्तर लम्बे समय तक नाजायज कब्जा रहा है। प्रार्थीगण ने नाजायज गुट बनाकर जमीन हड़पने की लिए आवेदन पेश किया है। भूमि पर आवंटी विपक्षी का कब्जा होकर वह काश्त कर रहा है। उसने भूमि पर बैंक ऋण भी लिया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 20–7–2016 से अपीलान्ट प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए विपक्षी रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 को किये गये आवंटन दिनांक 4–9–1998 को बहाल रखा।

अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 20–7–2016 से रूष्ट होकर अपीलान्ट प्रार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 16–9–2016 को पेश की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। रेस्पोन्डेन्ट संख्या–2 की और से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मेमों में लिखित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटिपूर्ण होना बताते हुए खारिज करने की प्रार्थना की। वहीं अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट के प्रमुख अपील उजर यह है कि आवंटन फ्रॉड व मिस–रिप्रजेन्टेशन से बिना उद्घोषणा प्रकाशन करवाया गया भूमि आवंटन योग्य नहीं है। आवंटी को कब्जा व आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है। सारा आवंटन एक दिन में ही पूरा किया गया है। फोटोग्राफ को अधिनस्थ न्यायालय ने नजर अन्दाज किया है। सार्वजनिक हित की भूमि का त्रुटिपूर्ण आवंटन किया गया है।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि प्रकरण में विपक्षी रेस्पोन्डेन्ट को भूमि का आवंटन दिनांक 4–9–1998 को होकर उसे खातेदारी प्राप्त हो चुकी है। पटवारी की पर्चा मौका रिपोर्ट अनुसार अभी भूमि पर वह काबिज है। पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 17–3–2011 अनुसार

आवंटी खातेदार का कब्जा है, इसके विपरीत पर्चा मौका दिनांक 3–5–2013 अनुसार आराजी नंबर 1583 के आंशिक भाग पर तथा आराजी नंबर 1586 पर अन्य का कब्जा है। प्रकरण में विपक्षी को भूमि वर्ष 1998 में आवंटन होकर उसे खातेदारी भी प्राप्त हो चुकी है। जबकि आंवटन के 12 वर्षो बाद वर्ष 2010 मं आवंटन निरस्तीकरण का आवेदन पेश हुआ है। प्रकरण में आवंटन की उद्घोषणा नहीं होने/प्रकाशन नहीं होने अथवा आवंटन शर्तो की पालना नहीं होने के तथ्य प्रमाणित नहीं है। अपीलार्थी प्रार्थीगण का कब्जा आवंटन पूर्व से रहा हो इसकी भी कोई साक्ष्य नहीं है। प्रकरण में इस स्तर पर विधिक आंवटी की भूमि पर प्रार्थीगण का यदि कब्जा भी हो तो भी वह आंवटी के मुकाबले अतिक्रमी ही है। आवंटन में कोई फ्रॉड व मिस–रिप्रजेन्टेशन का तथ्य भी प्रमाणित नहीं है।

अपीलान्ट द्वारा निम्नानुसार न्यायिक नजीरे प्रस्तुत की हैः–

1. आर.आर.डी. 1990 पेज 465
2. आर.आर.टी. 2006(1) पृष्ठ संख्या 398
3. आर.आर.टी. 2006(2) पृष्ठ संख्या 1123
4. आर.आर.टी. 2005(1) पृष्ठ संख्या 27
5. आर.आर.टी. 2009(2) पृष्ठ संख्या 1221

उक्त नजीरे इस प्रकरण से सुसंगत नही है।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अपीलान्ट प्रार्थी के समस्त उजरात को दृष्टिगत रखते हुए विपक्षी रेस्पोन्डेन्ट आवंटी जो कि विधिक खातेदार बन चुका है, उसका आवंटन बहाल रखने में तथा अपीलार्थी प्रार्थीगण का प्राथना पत्र खारिज किये जाने में किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं की है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 20–07–2016 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 09–10–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर